न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–डॉ. कृति व्यास, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या वाद–49/2023

अनवान

हरिश पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र जी भील ,जाति भील निवासी ग्राम खातीखेड़ा थाना व तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.....वादी

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिए जिलाधीश महोदय, चितौडगढ़।
2. श्री भूमिधारी जरिए तहसीलदार रावतभाटा

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट एवं धारा 88 रा.टी.एक्ट

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी.

उपस्थित–श्री प्रदीप कुमार बिल्लू अभिभाषक वादी
अप्रार्थी संख्या पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 23.03.2026

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रकरण संख्या 49/2023 हरिश बनाम श्री राजस्थान राज्य जरिए जिलाधीश वगैरा में दिनांक 18.03.2026 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा माननीय आप में वादी हरिश भील ने दिनांक 13.07.2023 को उक्त अनवान का एक वाद पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें कार्यवाही विचाराधीन होकर बहस अन्तिम हेतु मुकर्रर है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 दिवानी प्रक्रिया संहिता में निवेदन किया है कि वादी उक्त प्रकरण को वादी तकनिकी त्रृटि के कारण विड्रो कर नया वाद पेश करना चाहता हैं, इसलिए वादी को नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति के साथ उक्त वाद पत्र को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जावें। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ इस दावे को विड्रो करने की अनुमति दी जावें।

प्रार्थना–पत्र में पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 जा0दी0 किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने ग्राम भवानीपुरा (कुण्डाल) प0ह0 खातीखेड़ा तहसील रावतभाटा में आराजी संख्या 14 रकबा 0.14ह0 जमीन है, इस जमीन में वादी के अलावा दादी की मां जानकी बाई, भाई दिनेश, भगवतीलाल, विश्वमित्र, बहन मंजूबाई, व रतन बाई भी सहखातेदार है। पूर्व में यह जमीन ग्राम गिलोता मे थी, उक्त जमीन वादी के दादा सीताराम भील ने श्रीमती किशनी बाई लुहार से खरीद की थी, तब इस जमीन के पुराने आराजी नम्बर 1/2 थे तथा वर्तमान में इसके नये नम्बर 14 है। मिलान क्षेत्रफल की नकल अलग से पेश है वर्तमान में भवानीपुरा राजस्व गांव बन गया है इसलिए हमारी जमीन को गिलोता के स्थान पर भवानीपुरा मे कर दिया है। हमारी जमीन के पास मे ही मुख्य सड़क है, सड़क के उत्तर की ओर हमारी जमीन है, लेकिन अभी जो नया नक्शा ट्रेस बना है, इसमे हमारी जमीन सड़क के दूसरी ओर दक्षिण मे दर्शा दिया गया है। इस संबंध में वाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया था किन्तु उक्त वाद पत्र में तकनिकी त्रृटियां रह गई है, इस कारण से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पेश करने की अनुमति के साथ इस दावे को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जावें। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व बहस पर किसी पार का कोई खण्डन नहीं किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 दिवानी प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद पत्र में ऐसी प्रक्रियात्मक एवं तकनिकी त्रुटियां (procedural and Technical defects) विद्यमान हैं, जिनके कारण वाद पत्र का गुण–दोष के आधार पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है। अतः वाद पत्र को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर, नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। वाद पत्र एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। विचारण से यह परिलक्षित होता है कि विवादित आराजीयात में तकनीकी त्रृटियां विद्यमान है, इस कारण वादी द्वारा वाद पत्र धारा 88आर.टी. एक्ट को विड्रो कर नया वाद पेश करने की अनुमति देने का निवेदन किया है। वाद की वर्तमान संरचना में इन त्रुटियों का सुधार इस स्तर पर संभव नहीं है। उक्त त्रुटियां वाद के गुण–दोष से संबंधित न होकर औपचारिक/प्रक्रियात्मक त्रुटियां/तकनिकी त्रृटियां (formal/Technical defects) हैं, जिनके रहते वाद का प्रभावी एवं न्यायोचित निराकरण संभव नहीं है। न्यायालय यह भी पाता है कि यदि वादी को वाद पत्र वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उसे अपूरणीय क्षति (irreparable loss) हो सकती है तथा न्यायहित (interest of justice) प्रभावित होगा।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह मामला Order 23 Rule 1 CPC के अंतर्गत आता है, जिसमें वादी को वाद वापस लेकर पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2023 को Order 23 Rule 1 CPC के अंतर्गत वापस लिया हुआ मानते हुए निरस्त (dismissed as withdrawn) किया जाता है तथा वादी को उसी विषय वस्तु पर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता (liberty to file fresh suit) प्रदान की जाती है

आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को सुनाया गया।

(डॉ. कृति व्यास)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला–चितौडगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner